बिहार राज्य और अन्य

बनाम

निर्मल कुमार गुप्ता

(2013 की सिविल अपील संख्या 128)

08 जनवरी, 2013

[के. एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे. जे.]

बिहार उत्पाद शुल्क (देशी मसालेदार/देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस का निपटान) नियम, 2004-आरआर. 19, 20 और 24 - नीलामी - क्रेता के पक्ष में उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती - अग्रिम सिक्योरिटी के भुगतान में चूक- डिफॉल्ट के बावजूद लाइसेंस जारी - डिफॉल्ट को देखते हुए बंदोबस्ती की तारीख से लेकर लाइसेंस शुल्क की मांग बढ़ी लाइसेंस जारी करने की तारीख- उच्च न्यायालय ने माना कि डिफॉल्ट को माफ कर दिया जाएगा क्योंकि लाइसेंस डिफॉल्ट - के बावजूद जारी किया गया था - निर्णित किया - खरीददार नियम 19 का अनुपालन करने में विफल रहा - प्रश्नगत में व्यापार की प्रकृति को देखते हुए डिफ़ॉल्ट को माफ नहीं किया जा सकता है - नियम 24 के अनुसार, क्रेता को निपटान की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है - इसलिए, लाइसेंस शुल्क की मांग उचित है।

बिक्री अधिसूचना के अनुसार 5 जुलाई, 2006 को उत्पाद शुल्क की दुकानों का निपटान प्रतिवादी के पक्ष में कर दिया गया। प्रतिवादी को वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 1/4 हिस्सा अग्रिम सुरक्षा राशि के रूप में भुगतान करना आवश्यक था। वह समय पर एफ करने में असफल रहा। उन्होंने तीन किस्तों में अपेक्षित राशि जमा कर दी। लाइसेंस 5 जुलाईए 2006 को जारी किया गया था। चूंकि प्रतिवादी लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल रहा। अग्रिम जमा के भुगतान में देरी के कारण 5 जून, 2006 से 5 जुलाई, 2006 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि अग्रिम सुरक्षा राशि के भुगतान में चूक होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए माफ कर दिया गया माना जाएगा कि डिफ़ॉल्ट के बावजूद लाइसेंस जारी किया गया थाय और वह प्रतिवादी लाइसेंस जारी होने की तारीख से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, न कि निपटान की तारीख से। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया गया : 1. प्रतिवादी को वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 1/4 हिस्सा अग्रिम सुरक्षा राशि के रूप में भुगतान करना आवश्यक था लेकिन वह समय पर ऐसा करने में विफल रहा। उन्होंने तीन किस्तों में अपेक्षित राशि जमा कर दी। इस प्रकार, प्रतिवादी बिहार उत्पाद शुल्क

(देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस का निपटान) नियमावली, 2004 के नियम 19 का अनुपालन करने में विफल रहा। [पैरा 19] [926-डी-एफ]

2. 2004 के नियम 20 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अग्रिम सुरक्षा राशि नियम 19 के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा नहीं की जाती है। यदि निपटान और लाइसेंस जारी किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा और जमा राशि यदि कोई हो सरकार को जब्त कर ली जाएगी। इस प्रकार निपटान और लाइसेंस जारी करने के बीच अंतर है। [पैरा 14] [924-जी]

3. वर्तमान मामले में आचरण के माध्यम से डिफ़ॉल्ट को माफ करने का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। व्यापार की प्रकृति, राज्य की भूमिका, नीति की आर्थिक अवधारणा, कानून या नीति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 14 की सीमित आकर्षण क्षमताएं नीति में निहित प्रतिबंध और न्यायालय के कर्तव्य की कसौटी पर डिफ़ॉल्ट को माफ नहीं किया जा सकता था। ऐसी अवधारणा व्यापार की वर्तमान प्रकृति से भिन्न है और एक लाइसेंसधारी इसके तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता हैए क्योंकि पूरी चीज़ नियमों के आदेश द्वारा शासित होती है। [पैरा 21 और 31] [927-जी; 931-ए-बी, डी]

हर शांदर और अन्य आदि बनाम उप उत्पाद एवं कराधान आयुक्त और अन्य आदि। **एआईआर 1975 एससी 1121: 1975 (3) एससीआर 254;** एमएस खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम

कर्नाटक राज्य (1995) 1 एससीसी 574: 1994 (4) पूरक। एससीआर 477 - का पालन किया गया।

अमर चंद्र चक्रवर्ती बनाम आबकारी कलेक्टर, सरकार. त्रिपुरा, अगरतला और अन्य। **ए. आई. आर 1972 एस. सी. 1863: 1973 (1) एससीआर 533;** नाशिरवार आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य **एआइआर 1975 एससी 360: 1975 (2) एस. सी. आर. 861;** एम. पी. राज्य और अन्य आदि बनाम नंदलाल जयस्वाल और अन्य। आदि। **ए. आई. आर. 1987 एससी 25: 1987 (1) एससीआर 1;** एम/एस. उगार शुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य। **एआइआर 2001 SC 1447: 2001 (2) एससीआर 630 ;** एम. पी. राज्य और बनाम नंदलाल जयस्वाल और अन्य। आदि। **ए. आई. आर 1987 एस. सी. 251: 1987 (1) एससीआर 1;** पी एन कृष्णा लाल और अन्य। बनाम केरल सरकार और अन्य **1995 पूरक (2) एस. सी. सी. 187: 1994 (5) पूरक। एससीआर 526;** सरकार के सचिव। तमिलनाडू और अन्य बनाम के. विनयगमूर्ति **एआईआर 2002 एससी 2968: 2002 (1) पूरक। एस. सी.**

आर. 683; पंजाब और अन्य राज्य बनाम देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड और अन्य **(2004) 11 एससीसी 26: 2003 (5) पूरक। एस. सी. आर.**

4. उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या कि नीलामी-क्रेता लाइसेंस जारी होने की तारीख से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निपटान की तारीख से नहीं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह नियम 24 की स्पष्ट भाषा के विपरीत है। प्रतिवादी ने नियमों अधिसूचना और लाइसेंस में शामिल शर्तों से पूरी तरह अवगत होने के कारण लाइसेंस का लाभ उठाया था। नियमों में प्रावधान है कि उसे निपटान की तारीख से भुगतान करना होगा और मौजूदा मामले में, निपटान 5 जून, 2006 को हुआ था। नियमों में जो लिखा गया है उसे देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी को निपटान की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। [पैरा 31] [93-बी-ई]

केस कानून संदर्भ :

1973 (1) एससीआर 533 का पैरा 21

1975 (2) एससीआर 861 का पैरा 22

बिहार राज्य बनाम निर्मल कुमार गुप्ता 919

1975 (3) एससीआर 254 का पैरा 23

1987 (1) एससीआर 1 का पैरा 24

1994 (4) पूरक। इसके बाद एस. सी. आर. 477 का पैरा 2

2001 (2) एससीआर 630 का पैरा 26

1987 (1) एससीआर 1 का पैरा 27

1994 (5) पूरक। एस. सी. आर. 526 का पैरा 28

2002 (1) पूरक। एस. सी. आर. 683 का पैरा 29

2003 (5) पूरक। एस. सी. आर 930 का पैरा 30 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 128/2013।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय 2008 सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 16577 द्वारा अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 18.11.2008 से उत्पन्न।

अपीलकर्ताओं की ओर से गोपाल सिंह।

प्रतिवादी की ओर से शांतनु सागर, प्रीति रश्मी, स्मारहर सिंह, टी. महिपाल

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दीपक मिश्रा, जे. 1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील में विचार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बिहार उत्पाद शुल्क (देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस का निपटान के प्रभाव और प्रभाव की सही व्याख्या की है।) नियम, 2004 (संक्षेप में "नियम") और वर्ष 2006-07 के लिए उक्त जिले के समूहों में विभिन्न उत्पाद दुकानों के लिए उत्पाद शुल्क फॉर्म 127 में जी किशनगंज के कलेक्टर द्वारा प्रकाशित बिक्री अधिसूचना और लाइसेंस की शर्तें।

3. जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स उजागर करेगा, कलेक्टर,किशनगंज, में उत्पाद प्रपत्र 127 में बिक्री की अधिसूचना जारी करायी गयी। वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए किशनगंज जिले में विभिन्न समूहों में विभिन्न उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती के लिए, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि बंदोबस्ती 23 मार्च, 2006 को नीलामी-सह-निविदा के आधार पर की जाएगी और तदनुसार। इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। चूंकि उक्त जिले में समूह 'का' की दुकानों के संबंध में निपटान प्रभावी नहीं हो सका, कलेक्टर ने 17 मई, 2006 को उक्त समूह 'का' के लिए दूसरी अधिसूचना जारी की, जिसमें छह देशी स्प्रिट की दुकानें और तीन मसालेदार देशी स्प्रिट की दुकानें शामिल थीं। दुकानें 5 जून, 2006 कोए समूह 'का' उत्पाद शुल्क की दुकानों का निपटान प्रतिवादी के पक्ष में

8,29,600/- रुपये के मासिक लाइसेंस शुल्क पर किया गया। प्रतिवादी ने 7 जून, 2006 को 8,29,594/- रुपये की अग्रिम सुरक्षा जमा की और 22 जून, 2006 को 8,29,600/- रुपये और जमा किए। कलेक्टर, किशनगंज ने आयुक्त के पास उनकी मंजूरी के लिए आवेदन किया और उसे मंजूरी दे दी गई। 1 जुलाई, 2006 को कलेक्टर के कार्यालय में 5 जुलाई, 2006 को और उसी दिन, प्रतिवादी-लाइसेंसधारक के पक्ष में लाइसेंस जारी किया गया था। अपीलकर्ता का मामला यह है कि चूंकि प्रतिवादी ने नियमों के तहत निर्धारित अग्रिम सुरक्षा के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क की अपेक्षित 1/4 राशि जमा नहीं की, लेकिन तीन किश्तों में ऐसा किया, इसलिए अनुमोदन प्राप्त करने में देरी हुई। नियमों के नियम 17(ख) के अनुसार आबकारी आयुक्त। अग्रिम जमा के भुगतान में देरी के बावजूद, कलेक्टर ने उनके मामले को मंजूरी के लिए अनुशंसित किया था और अंततः आयुक्त ने समूह 'का' की दुकानों के संबंध में लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी और अंततः लाइसेंस जारी किया गया, जैसा कि कहा गया है इससे पहले, 5 जुलाई 2006 को।

4. चूंकि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन हुआ था, इसलिए 27 मार्च, 2007 को उत्पाद अधीक्षक, अररिया-सह-किशनगंज द्वारा 5 जून, 2006 से 5 जुलाई, 2006 तक की अवधि के लिए की मांग की गई थी। मांग नोटिस के बाद, प्रतिवादी ने 29 अप्रैल, 2007 को उत्पाद शुल्क अधीक्षक

को इस आधार पर मांग वापस लेने के लिए कहा कि उसने उस अवधि के दौरान विशेषाधिकार का उपयोग नहीं किया था।

इसके बाद, उन्होंने मांग नोटिस को उत्पाद शुल्क आयुक्त के समक्ष चुनौती दी, जिन्होंने 18 सितंबर, 2008 के आदेश के तहत आवेदन खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर उन्होंने 2008 के सीडब्ल्यूजेसी नंबर 16577 में रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

5. हाई कोर्ट ने नियम 16, 17, 20, 22 और 24 का हवाला दिया और निम्नलिखित तरीके से अपनी राय दर्ज की:-

"आबकारी वर्ष के मध्य में दुकानों के समूह का निपटान याचिकाकर्ता के पक्ष में कर दिया गया है, यह विवाद में नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि 5 जून, 2006 को याचिकाकर्ता द्वारा समूह 'का' उत्पाद शुल्क दुकानों के लिए बोली लगाई गई थी। किशनगंज जिले का मूल्य उच्चतम था और इसे नीलामी प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था ऐसी स्वीकृति उत्पाद शुल्क आयुक्त के अनुमोदन के अधीन है। इसमें कोई विवाद भी प्रतीत नहीं होता है कि अग्रिम सुरक्षा राशि के भुगतान में याचिकाकर्ता की ओर से कुछ चूक हुई थी हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि डिफ़ॉल्ट को माफ कर दिया गया है क्योंकि उक्त डिफ़ॉल्ट के बावजूद उनकी दिनांक 5 जून, 2006 की बोली रद्द नहीं की गई थी और 5 जुलाई, 2006 को नियमों के फॉर्म

26 सी में लाइसेंस जारी किया गया था। नियमों के नियम 16 और 17 एक साथ पढ़ने पर, यह पता चलेगा कि नीलामी प्राधिकारी द्वारा बोली की अंतिम स्वीकृति, बोली लगाने वाले को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती है क्योंकि उक्त बोली को उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा स्वीकार किया जाना है और इसे स्वीकार किए जाने के बाद ही आयुक्त, फिर लाइसेंस जारी किया जाता है। उपरोक्त कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर मुड़ते हैं, तो यह देखा जाएगा कि हालांकि याचिकाकर्ता की उच्चतम बोली 5 जून, 2006 को स्वीकार की गई थी, लेकिन लाइसेंसिंग 30 जून, 2006 को ही हुई थी। प्राधिकरण ने बंदोबस्ती की मंजूरी के लिए उत्पाद आयुक्त को अनुशंसा की और इसे 1 जुलाई, 2006 को उत्पाद शुल्क आयुक्तए बिहार द्वारा अनुमोदित किया गया और 5 जुलाई, 2006 को उत्पाद आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त होने के बादए लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया गया। उस तारीख पर। <u>निश्चित रूप से इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में कि लाइसेंस 5 जुलाई, 2006 को जारी किया गया था, याचिकाकर्ता पर 5 जून, 2008 से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता था।</u>

[हमारे द्वारा रेखांकित]

6. उपरोक्त निष्कर्ष की सत्यता पर सवाल उठाते हुए, बिहार राज्य के विद्वान वकील श्री गोपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उच्च

न्यायालय ने यह मानकर गलती कर दी है कि डिफ़ॉल्ट को माफ कर दिया गया है, हालांकि माफी की कोई अवधारणा नहीं है। ऐसे व्यापार में, उनके द्वारा आग्रह किया गया है किसी के अनुसार अपेक्षित अग्रिम लाइसेंस शुल्क जमा नहीं किया गया है। नियमों के अनुसार, अनुमोदन पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता था और इसलिए, विभाग को गलती नहीं होने पर राजस्व की अधिक हानि नहीं उठानी चाहिए, जब लाइसेंसधारी ने लाइसेंस में उल्लिखित शर्तों को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा, श्री सिंह का कहना है कि नियमों के अनुसार, ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी निपटान की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था।

7. श्रीमान, इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील शांतनु सागर ने जाहिर किया है कि उच्च न्यायालय ने विवाद को सही ढंग से निर्धारित किया है, कि दायित्व लाइसेंस जारी होने की तारीख से होगा और उससे पहले नहीं, जब तक कि लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। वह शराब का व्यापार नहीं कर सकता और इसके अलावा यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य ने विशेष विशेषाधिकार छोड़ दिया है।

8. विवाद को समझने के लिए कुछ नियमों का हवाला देना जरूरी है, नियमों का नियम 16 बोली या निविदाओं की स्वीकृति से संबंधित है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"16. **बोली या निविदाओं की स्वीकृति**-(1) नीलामी प्राधिकारी उच्चतम बोली या निविदा या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि उच्चतम बोली या निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, तो लाइसेंसिंग अधिकारी तुरंत कारणों का उल्लेख करते हुए नई नीलामी की तारीख घोषित करेगा। ऐसे में जो आवेदक नहीं चाहेंगे उनका पूरा जमा किया गया एडवांस पैसा वापस कर दिया जाएगा।

बाद की नीलामी में भाग लें।

(2) यदि किसी नीलामी में बोली राशि अंततः स्वीकार कर ली जाती है, तो उस बोली के संबंध में किसी भी आगामी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी या नीलामी आयोजित करने वाले अधिकारी द्वारा आगे कोई बातचीत नहीं की जाएगी।"

9. नियमों का नियम 17 जो बोली की अंतिम स्वीकृति का प्रावधान करता है वह इस प्रकार है:-

"17. बोली की अंतिम स्वीकृति-(ए) उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को दुकान या दुकानों के समूह के लिए खुदरा

बिक्री का विशेष विशेषाधिकार देने की सिफारिशए और नियम 16 के तहत स्वीकृति, लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा उत्पाद शुल्क आयुक्त को भेजी जाएगी, और उनकी स्वीकृति के बाद लाइसेंस दिया जाएगा। जारी किया जाएगा।

(बी) स्वीकृत उच्चतम बोली की राशि लाइसेंस शुल्क की वार्षिक राशि होगी।"

10. उपरोक्त दो नियमों के अवलोकन परए यह स्पष्ट है कि नीलामी आयोजित करने वाला लाइसेंसिंग अधिकारी बोली स्वीकार करता है और उसके बाद, दुकानों या दुकानों के समूह के लिए खुदरा बिक्री का विशेष विशेषाधिकार देने के लिए अपनी सिफारिश आयुक्त को भेजता है और उसके बाद उसकी स्वीकृति पर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। इस नियम का प्रासंगिक हिस्सा यह है कि स्वीकृत उच्चतम बोली की राशि लाइसेंस शुल्क की वार्षिक राशि होगी।

11. नियम 19 में निर्धारित तरीके से अग्रिम सुरक्षा के भुगतान का प्रावधान है। उक्त नियम यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"19. अग्रिम सुरक्षा का भुगतान के बाद- लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उच्चतम बोली की स्वीकृति की घोषणा करते समय, अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क का एक चौथाई भाग उच्चतम

बोली लगाने वाले को अग्रिम सुरक्षा के रूप में निम्नलिखित तरीके से भुगतान करना होगाः-

(ए) वार्षिक लाइसेंस शुल्क के छठे हिस्से के बराबर राशि तुरंत नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाएगी। क्रमशः नियम 11(ए) और नियम 11(सी) के तहत पहले जमा की गई नकद/बैंक ड्राफ्ट की राशि और अग्रिम धनराशि को आंशिक रूप से सुरक्षा राशि से समायोजित किया जाएगा।

(बी) अग्रिम सुरक्षा के कारण देय शेष राशि नीलामी के दस दिनों के भीतर या लाइसेंस शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, जमा करनी होगी।

12. उक्त नियम को स्पष्ट रूप से पढ़ने परए यह स्पष्ट है कि उच्चतम बोली लगाने वाले को वार्षिक लाइसेंस शुल्क का एक चौथाई अग्रिम सुरक्षा धन के रूप में उपखंड (ए) और (बी) में दिए गए तरीके से तुरंत जमा करना होगा। नियम।

13. नियम 20 डिफ़ॉल्ट के परिणामों से संबंधित है। अग्रिम सुरक्षा, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः-

> "20. **अग्रिम सुरक्षा में चूक -** नियम 19 में उल्लिखित अग्रिम सुरक्षा की राशि निर्धारित समय के भीतर जमा करने में विफलता के मामले में, निपटान और लाइसेंस, यदि जारी

किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा और जमा राशि, यदि कोई हो, सरकार को जब्त कर ली जाएगी। ऐसी परिस्थिति में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पुनः नीलामी या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।"

14. उपरोक्त नियम, जब ठीक से जांच की जाती है, तो यह स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि अग्रिम सुरक्षा राशि नियम 19 के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार जमा नहीं की जाती है, तो निपटान और लाइसेंस, यदि जारी किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई राशि यदि कोई हो, सरकार को जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार, निपटान और लाइसेंस जारी करने के बीच अंतर है।

15. नियम 23 अग्रिम के समायोजन/वापसी से संबंधित है सुरक्षा राशि। इसमें कहा गया है कि नियम 19 में उल्लिखित सुरक्षा राशि निपटान अवधि के अंत में वापस कर दी जाएगी यदि नीलाम की गई दुकान या दुकानों के समूह के संबंध में राज्य सरकार के सभी बकाया और दावों का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा पहले ही कर दिया गया है।

16. नियम 24 लाइसेंस की अवधि के प्रारंभ से संबंधित है। यह इस प्रकार हैः-

"24. **लाइसेंस की अवधि का प्रारंभ -** किसी भी नीलामी-क्रेता के पक्ष में जारी किया गया लाइसेंस उत्पाद वर्ष के 1

अप्रैल से प्रभावी होगा जब तक कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी अन्यथा आदेश न दे। नीलामी-खरीदार लाइसेंस अवधि के पहले दिन से बोली राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगाए भले ही लाइसेंस उसके बाद जारी किया गया हो।

बशर्ते कि यदि किसी दुकान या दुकानों के समूह की बंदोबस्ती उत्पाद वर्ष के मध्य में हो जाती है, तो लाइसेंस दुकान या दुकानों के समूह की बंदोबस्ती की तिथि से शुरू होगा।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रत्येक उत्पाद शुल्क वर्ष के लिए बिक्री अधिसूचना में, निपटान की जाने वाली दुकानों/लाइसेंसों का विवरण और उन लाइसेंसों के तहत उठाई जाने वाली वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत मात्रा और उसके आरक्षित शुल्क का उल्लेख करेगा।"

17. उक्त नियम का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर समझना होगा। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लाइसेंस उत्पाद शुल्क वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होगा और नीलामी-खरीदार लाइसेंस अवधि के पहले दिन से बोली राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगाए भले ही लाइसेंस उसके

बाद जारी किया गया हो। प्रावधान में आगे कहा गया है कि यदि किसी दुकान या दुकानों के समूह का निपटान उत्पाद शुल्क वर्ष के बीच में किया जाता है, तो लाइसेंस दुकान या दुकानों के समूह के निपटान की तारीख से शुरू होगा।

18. उच्च न्यायालय ने नियम स्थिति की व्याख्या करते हुए राय दी है कि दुकानों का निपटान प्रतिवादी के पक्ष में किया गया था वर्ष के मध्य में, यानी 5 जून, 2006 को, और 1 जुलाई, 2006 को उत्पाद शुल्क आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 5 जुलाई, 2006 को लाइसेंस जारी किया गया था, और इसलिए, 5 जून 2006 से 5 जुलाई 2008 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क की मांग टिकाऊ नहीं है।

19. जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलेगा, फॉर्म संख्या 127 में अधिसूचना 23 मार्च, 2006 को जारी की गई थी। उत्पाद शुल्क दुकानों के निपटान के नियम और शर्तों को बिक्री अधिसूचना में विधिवत शामिल किया गया था और नियम 8 के अनुसार, नियम और शर्तें अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों को लाइसेंस की शर्तों में शामिल माना जाएगा। पहली अधिसूचना के अनुसारए सभी तीन देशी स्पिरिट दुकानों का निपटान नहीं किया जा सका और निपटान के लिए आगे कदम उठाए गए और अंततः

प्रतिवादी की बोली 5 जून, 2006 को वार्षिक लाइसेंस शुल्क के साथ स्वीकार कर ली गई। 99,55,200/- या 8,29,600/- रुपये मासिक शुल्क पर। प्रतिवादी को वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 1/4 हिस्सा अग्रिम सुरक्षा राशि के रूप में भुगतान करना आवश्यक था लेकिन वह समय पर ऐसा करने में विफल रहा। उन्होंने अपेक्षित राशि तीन किस्तों में जमा की, अर्थात् पहली 7 जून, 2006 को, दूसरी 22 जून, 2006 को और तीसरी 17 जुलाई, 2006 को, नियम 19 (ए) के अनुसार, उन्हें 1/6 भाग जमा करना आवश्यक था। वार्षिक लाइसेंस शुल्क तुरंत नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में। अग्रिम जमानत राशि की शेष राशि नीलामी के दस दिन के भीतर या लाइसेंस शुरू होने से पहले जमा करानी थी। एफ इस प्रकारए प्रतिवादी उक्त नियम का पालन करने में विफल रहा। हालाँकि, कलेक्टर ने 30 जून, 2006 को उनके मामले की सिफारिश की, जिसे 1 जुलाई, 2006 को स्वीकार कर लिया गया और 5 जुलाई, 2006 को लाइसेंस जारी किया गया, यह ध्यान देने योग्य है कि इसके बाद, 16,03,893/- रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया गया था। उत्पाद शुल्क जी अधीक्षक द्वारा जारी किया गया। आयुक्त ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि 74,36,071/- रुपये में से, लाइसेंसधारी ने 68,36,794/- रुपये का भुगतान किया था और, इसलिए, 7,99,277/- रुपये का भुगतान किया जाना बाकी था। ज्ञात हो कि 3 मार्च, 2007 को अन्य शर्तों के उल्लंघन के कारण लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और वर्तमान मामले मेंए हम उन शर्तों से संबंधित विवाद के

लिए चिंतित नहीं हैं। प्रेसेन्टी केवल 5 जून, 2006 से 5 जुलाई, 2006 तक की मांग से संबंधित है।

20. उच्च न्यायालय ने राय दी है कि राज्य ने लाइसेंस जारी होने तक विशेष विशेषाधिकार से नाता नहीं तोड़ा है। नियम 24 के तहत, नीलामी क्रेता के पक्ष में जारी किया गया लाइसेंस उत्पाद वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होता है जब तक कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी अन्यथा आदेश न दे और नीलामी क्रेता लाइसेंस अवधि के पहले दिन से बोली राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, भले ही इसके बाद लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा, उसे निपटान अवधि की शुरुआत से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होता है और लाइसेंस निपटान की तारीख से शुरू होता है। मौजूदा मामले में इसका निपटान 5 जून, 2006 को किया गया था। लाइसेंस 5 जुलाई, 2006 को जारी किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर डिफ़ॉल्ट माफ़ी के सिद्धांत का सहारा लिया गया है कि जमा करने में चूक के बावजूद अग्रिम सुरक्षा के लिए, लाइसेंसिंग अधिकारी ने उसके मामले को उत्पाद शुल्क आयुक्त को अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया। जैसा कि हम समझते हैं, डिफ़ॉल्ट तब लागू होता है जब नियम 19 का उल्लंघन होता है जो अग्रिम सुरक्षा के लिए निर्धारित है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि देरी हुई। प्रतिवादी इसके लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार था। लाइसेंसिंग अधिकारी ने उनके मामले की सिफारिश करना उचित समझा और उत्पाद शुल्क आयुक्त ने इसे मंजूरी दे दी और मंजूरी

मिलने पर उसी दिन लाइसेंस जारी कर दिया गया। प्रतिवादी ने लाइसेंस के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से जानते हुए लाइसेंस स्वीकार कर लिया और उसे निपटान की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

21. इस समय, हम इस मुद्दे को उपयोगी रूप से संबोधित कर सकते हैं कि क्या इस प्रकृति के मामले में आचरण के माध्यम से डिफ़ॉल्ट को माफ करने के सिद्धांत को आकर्षित किया जा सकता है। सबसे पहले, नियमों के तहत, अधिकारियों को नियमों का पालन न करने पर जमा की गई राशि को जब्त करने का अधिकार है। यह ध्यान में रखना होगा कि व्यापार की प्रकृति का भी अपना महत्व होता है। अमर चंद्र चक्रवर्ती बनाम कलेक्टर मामले में उत्पाद शुल्क, सरकार के त्रिपुरा, अगरतला और अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहाः-

> "देशी शराब का व्यापार या व्यवसाय अपनी अंतर्निहित प्रकृति से राज्य और समाज द्वारा एक विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता है, जिसके लिए विधायी नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो कई दशकों से पूरे भारत में लागू है। अत्यधिक खपत के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य पर शराब के इस व्यापार या व्यवसाय को अपने आप में एक वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए और

अनुच्छेद 14 पर विचार करते समय इसे अन्य व्यापारों के समान आधार पर नहीं माना जा सकता है।

22. नशीरवार आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि राज्य के पास शराब के निर्माण और बिक्री का विशेष अधिकार या विशेषाधिकार है और किसी नागरिक को शराब का व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आगे यह निर्णय दिया गया है कि हानिकारक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार पर रोक लगाकर सार्वजनिक नैतिकता को लागू करना राज्य की पुलिस शक्ति के भीतर है।

23. हर शंदर और अन्य आदि बनाम उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त और अन्य आदि में, संविधान पीठ ने सिद्धांतों को दोहराया कि नशे में व्यापार या व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को हर चीज पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। निर्माण, भंडारण, निर्यात, आयात, बिक्री और कब्ज़ा सहित मादक पदार्थों के संबंध में गतिविधि का रूप। यह भी निर्धारित किया गया है कि पूर्ण रूप से निषेध करने के व्यापक अधिकार में सामान्य आवेदन की शर्तों के अनुसार नशीले पदार्थों के व्यापार की अनुमति देने का संकीर्ण अधिकार शामिल होगा जैसा कि राज्य समीचीन समझता है।

24. म.प्र. राज्य में और अन्य आदि बनाम नंदलाल जयसवाल और जी अन्य आदि, इस न्यायालय ने माना कि शराब का व्यापार स्वाभाविक रूप से दंडात्मक प्रकृति का है।

1. एआईआर 1972 एससी 1863।

2. एआईआर 1975 एससी 360।

3. एआईआर 1975 एससी 1121।

4. एआईआर 1987 एससी 251।

25. मैसर्स खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार व्यापार या व्यवसाय या किसी भी गतिविधि तक विस्तारित नहीं है जो हानिकारक है और आम जनता के कल्याण के खिलाफ है। इसमें आगे कहा गया है कि किसी नागरिक को शराब जैसे नशीले पदार्थ का व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

26. मैसर्स उगर शुगर वर्क्स लिमिटेड बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य, इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत को दोहराया और राज्य की नियामक शक्तियों पर जोर दिया।

27. म.प्र. राज्य और अन्य, आदि आदि बनाम नंदलाल जयसवाल और अन्य, आदि-आदि व्यक्त करते हुए दो जजों की बेंच मत व्यक्त करते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 14 अनुदान की ओर आकर्षित है शराब के

निर्माण और बिक्री के लिए विशेष अधिकार या विशेषाधिकार चूंकि इसमें राज्य की उदारता शामिल है, इसलिए इसमें कहा गया हैः-

> "33. लेकिन, ऐसे मामले में अनुच्छेद 14 की प्रयोज्यता पर विचार करते समय, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि, व्यापार या व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय अनुदान के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति में हस्तक्षेप करने में धीमा होगा। शराब के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस की, न्यायालय, वस्तु की स्वाभाविक रूप से हानिकारक प्रकृति को ध्यान में रखते हुएए राज्य सरकार को शराब के पुनर्मूल्यांकन, निर्माण और व्यापार की अपनी नीति निर्धारित करने में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता की अनुमति देगा। इसके अलावा शराब के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस देना अनिवार्य रूप से आर्थिक नीति का मामला होगा जहां अदालत हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार ने जो किया है उसे रद्द करने में संकोच करेगी, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन या दुर्भावनापूर्ण न हो।"

[जोर दिया गया]

5. (1995) 1 एससीसी 574।

6. ए. आई. आर 2001 SC 1447।

7. ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 251.

28. पीएन में कृष्ण लाल एवं अन्य बनाम केरल सरकार और अन्य में न्यायालय ने इस प्रकार व्यक्त कियाः- .

> "28....शराब का व्यापार करना स्वाभाविक रूप से हानिकारक या खतरनाक सामान है जो समुदाय को खतरे में डालता है या मनोबल को नष्ट करता है, अधिनियम के तहत विधायी क्षमता के अंतर्गत है। राज्य के पास ऐसे व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित करने की शक्ति है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जनता का कल्याण और व्यवसाय से उन्मूलन और बहिष्कार शराब व्यवसाय की प्रकृति में अंतर्निहित है। <u>नीति विकसित करने की विधायिका की शक्ति और अनुमानित साक्ष्य जुटाने की उसकी क्षमता पर इस परिदृश्य से विचार किया जाना चाहिए।"</u>
>
> [जोर दिया गया]

29. सचिव तमिलनाडु एवं अन्य। बनाम के. विनयागमूर्ति, इसे इस प्रकार निर्धारित किया हैः-

> "7....जहां तक हानिकारक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार का सवाल है कोई भी नागरिक इसका व्यापार करने का

दावा नहीं कर सकता है और नशीली शराब एक हानिकारक सामग्री है, कोई भी नागरिक खुदरा में नशीली शराब बेचने के किसी अंतर्निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। इसे किसी राज्य के नागरिक के विशेषाधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति होने परए राज्य जो भी प्रतिबंध लगाता है, वह अनुच्छेद 19(6) के अर्थ के भीतर एक उचित प्रतिबंध होना चाहिए और प्रतिबंध की तर्कसंगतता भिन्न होगी व्यापार से व्यापार तक और सभी व्यापारों के संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता----"

30. पंजाब राज्य और अन्य बनाम डेवन्स मॉडर्न ब्रेवरीज लिमिटेड और अन्य में यह दोहराया गया है कि शराब का व्यापार स्वाभाविक रूप से हानिकारक और हानिकारक माना जाता है।

31. हमने उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख किया है

8. 1995 पूरक (2) एस. सी. सी. 187।

9. ए. आई. आर 2002 एस. सी. 2968।

10. (2004) 11 एससीसी 26.

व्यापार की प्रकृति, राज्य की भूमिका, नीति की आर्थिक अवधारणा, कानून या नीति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 14 की सीमित आकर्षण

क्षमता, नीति में निहित प्रतिबंध और न्यायालय के कर्तव्य पर जोर दें। उपरोक्त कसौटी परए हमें यह देखना होगा कि क्या आचरण द्वारा क्षमादान के सिद्धांत का, विशेष रूप से वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा सहारा लिया जा सकता था। प्रतिवादी ने नियमों, अधिसूचना और लाइसेंस में शामिल शर्तों से पूरी तरह अवगत होने के कारण लाइसेंस का लाभ उठाया था। नियमों में प्रावधान है कि उसे निपटान की तारीख से भुगतान करना होगा और इस मामले मेंए निपटान 5 जून, 2006 को हुआ था। नियमों में जो लिखा गया है, उसे देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी निपटान की तारीख से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। डिफ़ॉल्ट को माफ़ नहीं किया जा सकता था, ऐसी अवधारणा व्यापार की वर्तमान प्रकृति से अलग है और एक लाइसेंसधारी इसके तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि पूरी चीज़ नियमों के आदेश द्वारा शासित होती है। इसके अलावा, हम उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई इस व्याख्या को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि नीलामी-खरीदार लाइसेंस जारी होने की तारीख से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निपटान की तारीख से नहीं, क्योंकि यह नियम की स्पष्ट भाषा के विपरीत है। 24. अधिसूचना के साथ नियमों को व्यापक तरीके से पढ़ने पर, जो लाइसेंस के नियम और शर्तों और व्यापार की प्रकृति का निर्माण करती है, अनूठा निष्कर्ष यह है कि निपटान की तारीख से देयता अर्जित होती है और इसलिए, हम पाते हैं कि उत्पाद

शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित था और उच्च न्यायालय की ओर से इसमें हस्तक्षेप करने का कोई वारंट नहीं था।

32. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और उत्पाद शुल्क आयुक्त को बहाल कर दिया जाता है। पार्टियां अपनी-अपनी लागत वहन करेंगी।

के.के.टी.

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डा॰ ऋचा कौशिक (आर0जे0एस0) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।